THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): We shall now take up clause 21. There is one amendment by Shri Jibon Roy.

SHRI JIBON ROY: I am not moving it.

Clause 21 was added to the Bill.

Clauses 22 to 38, and the 1st and the 2nd Schedules were added to the Bill.

Clause 1 and the Enacting Formula were added to the Bill.

The Preamble was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI G. VENKAT SWAMY: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

SHRI VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now, we will take up the National Commission for Minorities (Amendment) Bill, 1995.

THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES (AMENDMENT) BILL, 1995.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश)**:** श्रीमन्, मेरी इसमें असहमति है । ...(**व्यवधान**)... इस प्रकार से लास्ट समय में, आखिरी दिन में, आखिरी घंटे में लाना, यह अनुचित है । हम लोग चाहते थे कि पूरी डिबेट हो । जहां तक एक छोटा अमेंडमेंट है,जितना औरों को दिया उसमें मेरा कोई ऐतराज नहीं है लेकिन सिद्धांत मे मैं और मेरा दल इसमें कई बातों में विरोध करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया (बिहार)**:** जी नहीं, जी नहीं,... यह वाइस-चेयरमैन का सवाल है, इसको मत बोलिए । ...(**व्यवधान**)... आप छोड़ दीजिए इसको । ...(**व्यवधान**)...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जिस सिद्धांत पर आप बता रहें हैं, मैं समझता हूं कि माइनॉरिटी कमीशन ऐज़ सच भी संविधान की भावनाओं के विरूद्ध नहीं होना चाहिए । ह्यूमन राइट्स कमीशन आज है । ड्यूमन राइट्स कमीशन है, आप उसको बढ़ा दीजिए । आप ह्युमन राइट्स कमीशन एक रखते, माइनॉरिटी कमीशन अलग है । ...(**व्यवधान**)... मेरा इसमें प्रारंभिक मतभेद है नंबर एक कि आप अंत के दिन इस चीज को क्यों लाए हैं ?

श्री सीताराम केसरी : सुनिए, आप जो बोल रहें है, वह अलग से डिबेट कर लीजिएगा ...(**व्यवधान**)...

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): Minorities Commission is already existing.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: I know that.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : डिबेट अलग से नहीं हो रही है । ...(**व्यवधान**)... मैं तो निवेदन करूंगा कि क्या यह पद्धति सही है कि आखिरी दिन आखिरी समय में एकदम चार बिल लाए जाएं, यह क्या तरीका है ? ...(**व्यवधान**)... दो दिन पहले बिल को सरकुलेट करने का नियम है, उसको आपने कब किया है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. नारायणसामी) : माथुर जी...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : नहीं, मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए । नियम के अनुसार दो दिन पहले कम से कम बिल सरकुलेट होना चाहिए । You have not done it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mathur Sahib, you have made your point. Kindly take your seat.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Moreover there is no quorum. आज कोरम देखिए, कोरम की नहीं है । कोरम है ? कोरम ही नहीं है ।

SHRI M.A. BABY (Kerala): Sir, it is a fact that the Business Advisory Committee had allotted two hours time for the discussion of this Bill, but even then there have been occasions when we generally do not differ and everybody agrees that there would not be any dispute and everybody would support this Bill because this is an innocuous Bill. Of course. This is also an important Bill because, in the absence of the Chairman of the Minotirtics Commission, there should be a Vice-Chairman to preside

over so that the functioning of the Commission is smooth. But, unfortunately, we do not have time. It is true, as mentioned by Mathur Ji that we are discussing it at the fag-end of the time. I would have been happy if it had been brought earlier because we would have undertaken a discussion on the problems faced by the minorities. But that should not be held as a reason for not taking up this Bill now. I would appeal to Mathur Ji not to take it was an argument. So far as the question of quorum is concerned, we were discussing something else a short while ago and the question of quorum was not raised.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: You cannot take away my right. I raise it now.

SHRI M.A. BABY: Mathurji, let us not send a wrong signal from this august body. The nation is watching us on such an issue. Let there not be any dispute. Let us unanimously pass this Bill without a discussion. I appeal to you with folded hands to lend your support to pass this Bill.

श्री शंकर दयाल सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, यह जो माननीय कल्याण मंत्री जी ने नेशनल कमीशन फार माइनोरिटीज़ अमेंडमेंट बिल रखा है यह इतना छोटा है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए तो स्वागत ही होना चाहिए । मैं समझता हूं इस भावना को देखते हुए क्योंकि इसमें एक ही बात की गई कि अध्यक्ष के साथ-साथ एक उपाध्यक्ष का होना आवश्यक है जिससे इसके काम में सुविधा हो, मैं समझता हूं इसमें किसी तरह की आपत्ति की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि सरकार की नीयत खराब रहती , सरकार की मंशा खराब रहती, सरकार की चालाकी रहती और जल्दी से पास कराती तो निश्चिय ही भाई माथुर जिन स्वरों में बात करते। लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्हीं स्वरों में बात करते। लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्हीं स्वरों में बात की जाए। अगर कोई अच्छी बात आई है और वह भी माइनोरिटीज कमीशन के लिए तो हम इसका स्वागत करते हैं। आदरणीय माथुर जी जो हमारे बड़े भाई है उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि विपक्ष की एकता के लिए भी जरूरी है कि हम लोग इसका स्वागत करते हुए इसको पास कर दें। यही हम उनसे अपील करेंगे।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं कि विपक्ष की एकता रहे। जहां तक इस बिल के छोटे होने का सवाल है इसमें कोई अपील नहीं हो सकती लेकिन हम चाहते थे क्योंकि यह विषय एक बहुत बड़ी नीति का है इसलिए इस पर पूरी बहस होनी चाहिए थी अगर सदन के नेता यह मुझे आश्वासन दें कि अगले सत्र मे कम से कम इस विषय पर बहस जो जायेगी तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। सिद्धांत: में समझता हूं माइनोरिटी को अलग रखकर आप माइनोरिटीज को मुख्य धारा से बाहर रखना चाहते हैं। आपकी सद्इच्छा कुछ भी हो It is harmful to the nationa. लेकिन यह गलती कर रहें है । जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका स्कोप बढ़ा दीजिए। मैं एक उदाहरण देता हूं कि बंगाल और बिहार के बीच मे एक छोटा स्टेशन था उसका उर्दु में नाम नहीं लिखा गया क्योंकि वहां पर उर्दु बोलने वाले नहीं है । माइनोरिटी कमीशन वहां चला गया,

It was referred to the Minorities Commission. This is what they are doing.

†**شری سبط رضی:**جو سمودھان کی "مول بھاونا" ہے اسکے وروده بول رہے ہیں۔ ودھان کی بھاونا کے خلاف آپ بول رہےہیں..."مداخلت"...

सैयद सिबते रज़ी (उत्तर प्रदेश): जो संविधान की मूल भावना है उसके विरूद्ध बोल रहें हैं। संविधान की भावना के खिलाफ आप बोल रहें हैं। (**व्यवधान**)

†**شری سبط رضی:** چاہے وہ زبان کے "الپ سنکھیک" ہوں ۔ چاہے مزھب کے "الپ سنکھیک" ہوں۔ چاہے بھاشا کے "الپ سنکھیک" ہوں..."مداخلت"... سمودھان میں سرکشا دی ہے بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ کوپاس کردیں۔

†[]Transliteration in Arabic Script.

اس پر بحث کرنے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا..."مداخلت"...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जी नहीं।

सैयद सिब्ते रज़ी : चाहे वह जुबान के अल्पसंख्यक हो, चाहे मजहब के अल्पसंख्यक हों, चाहे भाषा के अल्पसंख्यक हो...(**व्यवधान**)संविधान में सुरक्षा दी है। बहुत छोटा सा मामला है, इस मसले को पास कर दें। इस पर बहस करने की मैं जरूरत नहीं समझता (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : माइनोरिटी कमीशन बनाकर के जो एकता है आपने उसके विरूद्ध किया। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि छोटी-छोटी बातें हैं। ...(**व्यवधान**)... This is what they are doindg.

(**श्री सीताराम केसरी**) : मान्यवर, माथुर साहब ने जो प्रस्ताव रखा है कि अगले सदन में इस पर बहस हो तो हम इसका स्वागत करते हैं और इसके लिए हम एश्योर करते हैं कि अगले सदन में इस को बहस के लिए लायेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V .NARAYANASAMY): Since this is a small amending Bill, I will put it to vote, after the

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर,मैं आपकी अनुमति से विशेष संक्षेप में इस प्रस्ताव का आपके सामने रखना चाहता हूं,

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक, जिसे लोक सभा पहले ही पारित कर चुकी है, विचारार्थ लिया जाए।"

T/ie *question was put and the motion was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): We shall now take up clausc-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SITARAM KESRI: I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Bill, 1995.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of Rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 26th August, 1995, agreed without any amendment to the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Bill, 1995, which was passed by the Rajya SAbha at its sitting held on the 22nd August, 1995."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V NARAYANASAMY): If the House agrees, we will n ow take up the Special Mentions.

SOME HON. MEMBERS: No Special Mentions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): No Special Mentions? All right. *(Interruptions).*

RE: INSTALLATION OF STATUE OF GANDHUI AT INDIA GATE

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। क्योंकि हमने केसरी जी को बिठाया है इसलिए यह बात हम आपको कहना चाहते है। श्री शशी भूषण जी ने सभी संसद सदस्यों को पत्र भेजा है कि गांधी जी की मूर्ति इंडिया गेट के सामने अगस्त क्रांति मैदान जो हैं, उसमें स्थापित करने के लिए सरकार का निर्णय हो गया था। शशी भूषण जी ने एक पत्र भेजा हैं, कि वह 2 अक्टूबर से इसके लिए भूख हड़ताल वहां पर करने जा रहें हैं। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार ने जब निर्णय कर लिया था- तो गांधी जी की 125वीं जयन्ती के अवसर पर गांधी जी की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार को पहले से यह निर्णय था। मुझ को स्वंय जवाब मिल चुका है। जब सदस्यों को जवाब मिल चुका है और सभी माननीय सदस्यों के पास पत्र गया है। शशी भूषण जी ने जो इसमें लिखा है कि मेरी जिंदगी की यह आखिरी भूख हड़ताल होगी, अगर वहां